

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 37/2020- सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-कोरिया बृहद् आर्थिक सहभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 के नियम 9 के साथ पठित, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009, जिसे सा.का.नि. 943 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित प्रकार और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में,

(I) सारणी में,-

- (i) क्रम सं. 342क के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “पॉलीब्यूटाडाइन रबर, टाइटेनियम और लिथियम ग्रेड को छोड़कर”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 342 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“342ख	400220	क्रम संख्या 342क के समक्ष उल्लिखित से भिन्न वस्तुएं	0.00”;

- (II) दूसरे परंतुक में, खण्ड(ख) में, शब्द, अंक और अक्षर “संख्या 342 क”, के स्थान पर पर शब्द, अंक और अक्षर “संख्या 342क और 342ख”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(फाइल संख्या 354/53/2020-टीआरयू)

(जैनेन्द्र सिंह कंधारी)  
उप सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को सा.का.नि 943 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 31/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 13 जुलाई, 2020 जिसे सा.का.नि 444 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।